

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या :- 136/2017

1. दिलशेर सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह उर्फ लाभ सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम अकांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

-- वादी

--:: बनाम ::--

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

-- प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम्

धारा 136 एल.आर. एकट अधिनियम बाबत दुरुस्ती

--:: उपस्थित अभिभाषक ::--

1. श्री ऋषीपाल जोषी अधिवक्ता वादी
2. श्री पैरोकार राज प्रतिवादी

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :- 31.07.2017

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् धारा 136 एल.आर. एकट अधिनियम बाबत दुरुस्ती के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 13 एल.एन.पी फस्ट पटवार हल्का बख्तावाली (19 एम.एल) तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 के खाता संख्या 39/47 के मुर्ब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 6/2 ता 25 की 4.123 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम (दिलशेर सिंह पुत्र लाभ सिंह उर्फ कुलदीपसिंह) से दर्ज कागजात राज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है।

चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी से पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई है तथा उक्त कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी के पिताजी का नाम "लाभ सिंह उर्फ कुलदीप सिंह" अंकित है, जबकि वादी के शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड आदि में तथा वादी के पिताजी के मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड में वादी के पिताजी का नाम "कुलदीप सिंह" अंकित है। कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी के पिताजी का "लाभसिंह उर्फ कुलदीप सिंह" नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि से तथा शैक्षणिक दस्तावेजों से भली प्रकार मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारों को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओं से भी वादी वंचित हो रहा है। कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "दिलशेर सिंह पुत्र लाभ सिंह उर्फ कुलदीप सिंह" एवं दुरुस्त किये जाने वाला "दिलशेर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह" वादी का ही नाम है तथा "लाभसिंह उर्फ कुलदीप सिंह" एक ही व्यक्ति है व वादी के पिताजी का ही नाम है।

वादी की सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका, आधार कार्ड, वादी के पिताजी का राशन कार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र संलग्न वाद पत्र है।

वादी ने दिनांक 24.06.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तु स्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दुरुस्त करवाने हेतू हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

1. चक 13 एल.एन.पी फस्ट पटवार हल्का बख्तावाली (19 एम.एल) तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत् 2067-2070 के खाता संख्या 39/47 के मुर्ब्बा नम्बर 3 की 4.123 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी (दिलशेर सिंह पुत्र लाभ सिंह उर्फ कुलदीप सिंह) के अंकन को दुरुस्त किया जाकर "दिलशेर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह" अंकित करने के आदेश दिये जावे"।
2. अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो प्रदान किये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वाद पत्र वादी के नाम दुरुस्ती का है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। जिसको सिद्ध करने का भार स्वयं वादी का है अतः राज्य हिता को मध्य नजर रखते हुए निर्णय फरमाया जावे।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होने के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के अधिवक्ता को सुना गया वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप अपना तथा अपने पिता कुलदीपसिंह उर्फ लाभसिंह पुत्र श्री करतारसिंह ग्राम अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जाकर उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को अनुतोष प्रदान किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

### —: आदेश :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 13 एल.एन.पी फस्ट पटवार हल्का बख्तावाली (19 एम.एल) तहसील व



लगातार 3

जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 के खाता संख्या 39/47 के मुरब्बा नम्बर 3 की 4.123 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी (दिलशेर सिंह पुत्र लाभ सिंह उर्फ कुलदीप सिंह) के अंकन को दुरुस्त किया जाकर "दिलशेर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह" अंकित करने के आदेश दिये जाते है।

AS/3

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(यशपाल आहूजा)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
पदेन सहायक कलक्टर  
श्रीगंगानगर